

**हरियाणा सरकार**  
**आबकारी तथा कराधान विभाग**  
**अधिसूचना**

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 34/एस.टी.-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2022. - चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, 12 जून, 2022 से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची छ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

**संशोधन**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची छ में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा 5 और के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

"4 (क)	देसी मदिरा	12 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में प्रथम बार आसवानियों द्वारा बेची जाए: परन्तु इन मालों की बिक्री पर कोई भी इन्पुट कर क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होगा।
(ख)	बीयर, आर0टी0बी0 (पीने के लिए तैयार पेय) तथा वाइन	12 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में प्रथम बार बीयर तथा वाइन के मामले में अनु0-1ख1, अनु0-1-कख1, अनु0-1ब द्वारा तथा आर0टी0बी0 के मामले में अनु01-ख1-क द्वारा बेची जाए: परन्तु इन मालों की बिक्री पर कोई भी इन्पुट कर क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होगा।
(ग)	भारत में बनी विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल)	12 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में प्रथम बार अनु0-1ख तथा अनु0-1कख द्वारा बेची जाए: परन्तु इन मालों की बिक्री पर कोई भी इन्पुट कर क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होगा।
(घ)	बोतल बन्द आयातित विदेशी मदिरा (आईएफएल) (बन्द)	3 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	प्रविष्टि 5 में आने वाली के सिवाए जब राज्य में किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम बार बेची जाने पर तथा अनु-1खच (अनुज्ञप्तिधारी) व्यवहारी द्वारा सभी बिक्रियों पर परन्तु अनु-1खच (अनुज्ञप्तिधारी) व्यवहारी द्वारा किसी भी व्यवहारी को बेचे गए ऐसे मालों पर कोई भी इन्पुट कर क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होगा।
5	मदिरा और आयातित विदेशी मदिरा (बोतलबन्द)	18 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में बार, पब तथा क्लब में अनु0-4/अनु0-5/अनु0-10ग/अनु0-10ड़/अनु0-12 ग/अनु0-12छ/अनु0-4क अनुज्ञप्ति रखने वालो द्वारा बेची जाए : परन्तु इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले व्यवहारियों को मदिरा के क्रय पर कोई भी इन्पुट कर क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होगा।"

अनुराग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

**The 10<sup>th</sup> June, 2022**

No. 34/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2022. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 59 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Schedule G appended to the said Act with effect from the 12<sup>th</sup> June 2022, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in the Schedule G, under columns 1, 2, 3 and 4, for serial numbers 4 and 5 and entries thereagainst, the following serial numbers entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“4(a)	Country liquor	12% + surcharge @5%	When sold for the first time in the State by the distillery: Provided that no Input Tax Credit shall be admissible on sale of these goods.
(b)	Beer, RTB, and Wine	12% + surcharge @5%	When sold for the first time in the State by the L-1B1, L-1-AB1, L-1W in case of beer and wine, and L1-B1-A in case of RTB: Provided that no Input Tax Credit shall be admissible on sale of these goods.
(c)	Indian Made Foreign Liquor (IMFL)	12% + surcharge @5%	When sold for the first time in the State by L-1B and L-1AB: Provided that no Input Tax Credit shall be admissible on sale of these goods.
(d)	Imported Foreign Liquor (IFL) bottled in Origin (BIO)	3% + surcharge @5%	When sold by any dealer for the first time in the State and all sales by an L-1BF (Licensee) dealer except covered under entry 5: No Input Tax Credit shall be admissible to any dealer subsequent to L-1BF (Licensee) dealer on sale of these goods.
<b>5</b>	Liquor including Imported Foreign Liquor (bottled in Origin)	18% + @5% surcharge	When sold by bar, pub and club holding L-4/L-5 /L-10C/ L-10E/L-12C/L-12G/L-4A license: Provided that no Input Tax Credit shall be admissible to the dealers covered by this entry on purchase of liquor.”

Anurag Rastogi,  
Additional Chief Secretary to Government,  
Haryana, Excise and Taxation Department